भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1119**
रविवार, 20 सितम्बर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

वास्तविक घरेलु और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षा

1119 श्री संभाजी छत्रपती:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश को वैश्विक स्तर पर सबसे लुभावने पर्यटक आकर्षण केन्द्र का दर्जा प्राप्त नहीं करने का मुख्य कारण पर्यटकों की सुरक्षा, असुरक्षा, दुकानदारों और किराए के वाहन चालकों द्वारा धोखा दिया जाना, स्थानीय लोगों का अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की कमी, आर्थिक शोषण इत्यादि है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र में सुस्त वृद्धि के लिए जिम्मेदार नकारात्मक कारकों को चिह्नित करने हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कोई विस्तृत तथ्यान्वेषी अध्ययन करवाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार राज्यों से विचार-विमर्श करके क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): पिछले 3 वर्षों में देश में घरेलू पर्यटक आगमन तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पैरामीटर	2017	2018	2019(अ)
1.	घरेलू पर्यटक आगमन की संख्या (मिलियन)	1657.6	1854.9	2321.98
		(2.6%)*	(11.9%)*	(25.3%)*
2.	भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों आगमन की संख्या (आईटीए) (मिलियन)	16.81	17.42	17.91
		(11.8%)	(3.7%)	(2.8%)

अ. अंनतिम

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं।

जैसा कि देखा जा सकता है कि देश में पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा, धोखाधड़ी आदि से संबंधित मुद्दों के निपटान के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(i) 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' तथा पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सहित अपराध की रोकथाम राज्य से संबंधित विषय हैं। तथापि पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरुप दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडीशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और सिक्किम की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है ।

(ii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अत्यधिक पर्यटको वाले महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यो में पुलिस कार्मिकों सहित विशेष कॉल सेंटरो की स्थापना के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय की सदस्यता में एक समिति गठित की है। गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों में पर्यटक पुलिस की प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को पत्र भी भेजे हैं।

(iii) पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबंधित सूचना के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने और भारत में यात्रा करते समय संकटग्रस्त पर्यटकों को समुचित दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों हेतु 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं, हिंदी तथा अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री संख्या 1800 111 363 अथवा लघु कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक इन्फो हेल्पलाइन की शुरुआत फरवरी 2016 में की है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को पारित किया है जो पर्यटको एवं स्थानीय नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा एवं उत्पीड़न से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए सम्मान के साथ पर्यटन कार्यकलापों को बढ़ावा देने संबंधी दिशानिर्देशों का एक समूह है।

****